रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 14, 2008/पौष 24, 1929
No. 22] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 14, 2008/PAUSA 24, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2008

सं. 101/(आर ई-2007)/2004—2009

फा. सं. 01/94/180/461/ए एम 08/पीसी-1.—विदेश व्यापार नीति, 2004–2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

सार्वजनिक सूचना संख्या 93 (आर ई-2007)/2004– 2009 दिनांक 27-12-2007 की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें पैरा 3.8.6 के लाभों को लागू करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया था । निम्नलिखित को पैरा 3.19.10 के अंत में जोड़ा जाता है :

"विदेश व्यापार नीति (आर ई-2007) के पैरा 3.8.6 के तहत क्षेत्रीय प्राधिकारी, सीएलए, नई दिल्ली द्वारा ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स का आवंटन अलग-अलग आवेदनों के पात्र दावों की तुलना में पात्र प्रत्येक अर्द्ध-वर्ष (अप्रैल–सितम्बर 2007/ अक्तूबर–मार्च 2008) की अवधि के दौरान प्राप्त सभी स्तर-धारकों के कुल पात्र दावों के अनुपात में होगा । यह आवंटन इस तरह किया जाएगा कि सभी स्तर-धारकों को प्रदान किए गए कुल लाभ विदेश व्यापार नीति आरई-2007 के पैरा 3.8.6 के प्रत्येक अर्द्ध-वर्ष हेतु निर्धारित सीमा से अधिक न हो जाएं । तद्नुसार, यदि सभी स्तर-धारकों का कुल पात्र दावा यदि 200 करोड़ रुपये हो जाता है तो प्रत्येक आवेदक स्तर-धारक को आवेदक हेतु पात्र दावे का एक चौथाई ही प्रदान किया जाएगा ।"

इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

आर. एस. गुजराल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 14th January, 2008

No. 101 (RE-2007)/2004—2009

F. No. 01/94/180/461/AM 08/PC-I.—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy 2004—2009, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Handbook of Procedures (Vol. I) :

Attention is invited to Public Notice No. 93(RE-2007)/ 2004—2009 dated 27-12-2007, which announced the procedure for implementing Para 3.8.6 benefits. After the end of Para 3.19.10, the following is added :

"The allocation of duty credit scrips by RA, CLA, New Delhi, under Para 3.8.6 of FTP (RE-2007), shall be done proportionate to the eligible claims of individual applications, vis-a-vis the total eligible claims of all the status-holders put together, received for each half year (April—Sept. 2007/Oct.—March 2008) period, in such a way that the total benefits granted for all status-holders put together does not exceed the limit prescribed for each half year in Para 3.8.6 of FTP (RE-2007). Accordingly if the total eligible claim of all the status-holders put together is, say, Rs. 200 Cr., each applicant status-holder would be granted one-fourth of the claim an applicant is eligible for."

This issues in public interest.

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.

156 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.